भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1416

28 जुलाई 2026 को उत्तरार्थ

विषय: एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत वित्तीय सहायता

1416. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों द्वारा संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मल्च बनाने और अन्य बागवानी विकास प्रौद्योगिकियों जैसे क्रियाकलापों को अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन और अन्य बागवानी विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता/राजसहायता की पर्याप्तता के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऐसी वित्तीय सहायता को बढ़ाने या उसे युक्तिसंगत बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन या अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): जी हाँ। किसानों द्वारा आधुनिक बागवानी प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता की उपयुक्तता की सरकार ने समीक्षा की है। समीक्षा में बताया गया कि संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग और अन्य बागवानी विकास प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न घटकों के लिए लागत मानदंडों में समय के साथ इनपुट और सामग्री की लागत में वृद्धि को देखते हुए संशोधन की आवश्यकता है।

(ग) और (घ): सरकार को राज्यों और अन्य स्टेक्होल्डर्स से एमआईडीएच के अंतर्गत वित्तीय सहायता में वृद्धि और युक्तिकरण के लिए अभ्यावेदन और अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभ भी शामिल है। इन अनुरोधों के आधार पर और बागवानी क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न इनपुट और सामग्रियों की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के प्रचालन दिशानिर्देशों को 2025 में संशोधित किया गया था। संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए लागत मानदंडों को बढ़ाया गया है और बागवानी क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का समर्थन करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। विस्तृत एमआईडीएच प्रचालन दिशानिर्देश संशोधित लागत मानदंडों के साथ एमआईडीएच वेब पोर्टल अर्थात www.midh.gov.in पर उपलब्ध है।
